न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, देहरादून
प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या– 1773/2026

प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक हाण्डा

<u>आदेश</u>

<u>दिनांक– 18–05–2026</u>

प्रार्थिनी रूचिका कपूर द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर उसके मोबाईल नम्बर 8868044436 को अनब्लॉक करने की प्रार्थना की गयी।

2. प्रार्थना पत्र पर थाना– साईबर क्राईम, देहरादून/एन0सी0आर0पी पोर्टल से आख्या तलब की गई। थाने से इस आशय की आख्या प्राप्त है कि एन0सी0आर0पी0 एम0एच0ए0 पोर्टल पर दिनांक 01.05.2026 को शिकायतकर्ता श्री जितेन्द्र पुत्र श्री राम स्वरूप निवासी केमरी, थाना केमरी, जिला रामपुर, उत्तरप्रदेश द्वारा शिकायत दर्ज करायी गयी है। जिसका Acknowledgement No. 23105260083194 है। उक्त संबंध में जांच संबंधित थाना केमरी, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश से की जा रही है।

3. चूंकि थाना साईबर क्राईम देहरादून से प्राप्त आख्यानुसार उक्त शिकायत थाना केमरी, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश पर प्रचलित है तथा थाना केमरी, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश से संबंधित वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हेतु इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार न होने के कारण निस्तारित किया जाता है।

4. पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(भावना पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
देहरादून।